न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत** (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 05/2019

वादीगण :-

1. नरसिंगदास पुत्र पन्नीराम
2. संतोकदास उर्फ संतोषदास पुत्र पन्नीराम जातियान साद, निवासी ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. गोविन्ददास पुत्र पन्नीराम जाति साद निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा
2. लीलादेवी पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा
3. हरिराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी हरियाडा तहसील बिलाडा
4. भंवरदास पुत्र पेमदास
5. सुआदेवी पुत्री पेमाराम उर्फ प्रेमदास जातियान साद निवासीगण हरियाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. सदाम हुसैन पुत्र शकूर खान जाति मुसलमान निवासी चौपडा तहसील सोजत सीटी जिला पाली
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादीगण - श्री डी डी रामावत, अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 1- श्री हिम्मताराम प्रजापत अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या- 2 से 4 - के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं.- 5 व 6- श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या -7 सरकारी पैरोकार।

<u>निर्णय</u> दिनांक :- 09/06/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 817 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 804/1 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 807 रकबा 16 बीघा, खसरा नंबर 227 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 297/10 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 257 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त भूमि खसरा नंबर 817 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा में वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा तथा वादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा है तथा खसरा नंबर 804/1 रकबा 8 बीघा में वादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा तथा खसरा नंबर 807 रकबा 16 बीघा में वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा वादी सं. 2 का है तथा खसरा नंबर 227, 297/10 की भूमि में वादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा वादी सं. 2 का है तथा खसरा नंबर 257 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा की भूमि में वादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा तथा 1/8 हिस्सा वादी सं. 2 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। वादीगण ने दिनांक 20.12.2018 को प्रतिवादीगण को बंटवाडा करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने बंटवाडा करने से मना कर दिया। अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का हिस्से अनुसार बंटवाडा कर स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावें।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 14.03.2022 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम हरियाडा तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 817 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 804/1 रकबा 8 बीघा, खसरा नंबर 807 रकबा 16 बीघा, खसरा नंबर 227 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 297/10 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 257 रकबा 14 बीघा 16 बिस्वा का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट)
1	नरसिंगदास पुत्र पनीराम हिस्सा पूर्ण जाति साद सा.देह खातेदार	817 807 227 297/10 257	0.2022 0.6370 0.3215 0.2629 0.2993
	कुल खसरा	5	1.7229
2	सन्तोकदास पुत्र पनीराम हिस्सा पूर्ण जाति साद सा.देह खातेदार	817 804/1 807 227 297/10 257	0.2022 0.3134 0.6370 0.3215 0.2629 0.2993
	कुल खसरा	6	2.0363
3	गोविन्ददास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/2 जाति साद सा.देह खातेदार लीलादेवी पत्नी हरीराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार	817	0.4046
	कुल खसरा	1	0.4046
4	गोविन्ददास पुत्र हरीराम हिस्सा 1/3 जाति साद सा.देह खातेदार लीलादेवी पत्नी हरीराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार हरीराम पुत्र मोटाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार	804/1	0.9405
	कुल खसरा	1	0.9405
5	गोविन्ददास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/2 जाति साद सा.देह खातेदार लीलादेवी पत्नी हरीराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा.देह खातेदार	807	1.2743
	कुल खसरा	1	1.2743

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

6	गोविन्ददास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/2 जाति साद सा.देह खातेदार सदाम हुसैन पुत्र शकूर खान हिस्सा 1/2 जाति सा.चौपडा तह.सोजत खातेदार	227 297/10	0.6433 0.5259
	कुल खसरा	2	1.1692
7	गोविन्ददास पुत्र पनीराम हिस्सा 1497/8980 जाति साद सा.देह खातेदार सदाम हुसैन पुत्र शकूरखान हिस्सा 1497/8980 जाति पठान सा.चौपडा तह. सोजत खातेदार भंवरदास पुत्र पेमाराम हिस्सा 2993/8980 जाति साद सा.देह खातेदार सुवादेवी पुत्री पेमाराम हिस्सा 2993/8980 जाति साद सा.देह खातेदार	257	1.7960
	कुल खसरा	1	1.7960
8	गोविन्ददास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/4 जाति साद सा.देह खातेदार नरसिंगदास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/4 जाति साद सा.देह खातेदार लीलादेवी पत्नी हरीराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार सन्तोकदास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/4 जाति साद सा.देह खातेदार	817 807	0.0405 0.0405
	कुल खसरा	2	0.0810
9	गोविन्ददास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/4 जाति साद सा.देह खातेदार लीलादेवी पत्नी हरीराम हिस्सा 1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार सन्तोकदास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/4 जाति साद सा.देह खातेदार हरीराम पुत्र मोटाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार	804/1	0.0405
	कुल खसरा	1	0.0405
10	गोविन्ददास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/4 जाति साद सा.देह खातेदार नरसिंगदास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/4 जाति साद सा.देह खातेदार सन्तोकदास पुत्र पनीराम हिस्सा 1/4 जाति साद सा.देह खातेदार सदाम हुसैन पुत्र शकूरखान हिस्सा 1/4 जाति पठान सा.चौपडा तह. सोजत खातेदार	227 297/10	0.0405 0.0405
	कुल खसरा	2	0.0810

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 28.04.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 28.04.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 09/06/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण — नरसिंगदास
बनाम
प्रतिवादीगण — गोविन्ददास वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 05/2019

निर्णय **दिनांक :-** 09/08/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री डी डी रामावत अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री हिम्मताराम प्रजापत अधिवक्ता, प्रतिवदी सं. 2 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 5 व 6 की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 7 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 28.04.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

तीज - **मुबलिग** - **बाबत्** -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा